FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
त्रिलोकसिंह पुत्र सोहनसिंह निवासी 1591, संत नगर, बिजली बोर्ड के पास इस्मैलाबाद, कुरूक्षेत्र हरियाणा 136129 आधार नम्बर 341697605703		राज. सरकार जरिये लोक अभियोजक, नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 44-80 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.09.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा–3, 5, 6, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन ट्रक संख्या एचआर 65 ए 6053 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दिनांक 27.09.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 27.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
27.9.21	प्रार्थी की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री आनन्द व्यास उपस्थित। श्री नरसीलाल एफ.सी. 2135 पुलिस थाना डीडवाना उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन ट्रक संख्या एचआर 65 ए 6053 का प्रार्थी त्रिलोकसिंह स्वामी है, अन्य कोई स्वामी नहीं है। उक्त वाहन को पुलिस थाना डीडवाना द्वारा उन[illegible] संख्या [illegible] में जब्त कर रखा है। पुलिस थाना डीडवाना को [illegible] शुदा वाहन की अनुसंधान में कोई [illegible] का उक्त वाहन पुलिस थाना डीडवाना में देखरेख के अ[illegible] पड़ा–पड़ा खराब हो रहा है। जबकि प्रार्थी को [illegible] आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त वाहन को जमानतनामा [illegible] सुपुर्दगीनामा पर प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने हेतु तत्पर है, का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया। कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/9/21 (लगातार)	अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में ट्रक संख्या एचआर 65 ए 6053 के मालिक एवं चालक से अनुसंधान शेष होने से जब्तशुदा ट्रक को छोड़ना उचित नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पुलिस थाना डीडवाना द्वारा प्रस्तुत केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक–3972 दिनांक 27.09.2021 में स्पष्टतः अंकित किया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक संख्या एचआर 65 ए 6053 के मालिक एवं चालक से अनुसंधान शेष है। तथ्यात्मक रिपोर्ट शा.मि. हो। ऐसी स्थिति में वाहन जमानतनामा एवं सुपर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर,नागौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:31 IST
Reason: SelfAttested